



सोशल मीडिया सेल जनपद आजमगढ़

पत्र सं0-375/2022

दिनांक- 10-नवम्बर-2022

प्रेस-विज्ञप्ति

थाना बरदह

साजिश कर किशोरी को भगाने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना/इतिहास का विवरण / गिरफ्तारी का विवरण – दिनांक 27.06.22 को वादिनी थाना बरदह जनपद आजमगढ़ द्वारा खुद की पुत्री उम्र 16 वर्ष को गांव के ही अरविन्द राजभर पुत्र फिरतू राजभर निवासी ग्राम सोहौली थाना बरदह जनपद आजमगढ़ द्वारा भगा ले गया है, के संबंध में थानास्थानीय पर मु0अ0स0 – 211/22 धारा 363/366 भा0द0वि0 पंजीकृत किया गया विवेचना उ0नि0 गोपाल जी द्वारा सम्पादित की गई बाद विवेचना मुकदमा उपरोक्त में धारा 120बी भा0द0वि0 की बढोत्तरी की गयी। इसी क्रम में-

दिनांक 10.11.22 को उ0नि0 गोपाल जी मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से संबंधित अभि0 फिरतू उर्फ नरेन्द्र राजभर पुत्र स्व0 जगरुप राजभर सा0 सोहौली थाना बरदह जनपद आजमगढ़ को अभियुक्त के घर ग्राम सोहौली समय करीब 10.05 बजे गिरफ्तार किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त ने बताया कि मेरा लड़का अरविन्द राजभर एक लड़की को लेकर भाग गया है मुझे मालूम है दोनो शादी कर लेंगे। अपहृता की बरामदगी हेतु कहा गया तो बताया कि दोनो चले गये है हमसे बात होती है कहते है कि हम दोनो शादी कर लिए है। समय मिलेगा तो मैं आउंगा। अपहृता को भगाने में फिरतू पुत्र स्व0 जगरुप की संलिप्तता पाये जाने पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 120बी भादवि की बढोत्तरी करते हुए कारण गिरफ्तारी बता कर हिरासत पुलिस में लेकर नियमानुसार पेश करने हेतु माननीय न्यायालय सदर जनपद आजमगढ़ रवाना किया गया।

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0 211/22 धारा 363/366/120बी भा0द0वि0 थाना बरदह जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त –

फिरतू उर्फ नरेन्द्र राजभर पुत्र स्व0 जगरुप राजभर सा0 सोहौली थाना बरदह जनपद आजमगढ़

पुलिस टीम-

सतीश यादव (उ0नि0) थाना बरदह जनपद आजमगढ़

संतोष यादव (आरक्षी) थाना बरदह जनपद आजमगढ़

हो0गा0 संजय राय थाना बरदह जनपद आजमगढ़

थाना जहानागंज

मारपीट में वांछित 01 नफर अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना- वादी धर्मेन्द्र सोनी पुत्र विष्णुलाल सेठ उर्फ निबूलाल निवासी सुम्भी बाजार थाना जाहानागंज जनपद आजमगढ़ द्वारा थाने पर आकर सूचना दी गई कि पुरानी रंजिस को लेकर दिनांक 09.11.22 को समय करीब 12 बजे मेरे पड़ोसी 1. राजकुमार पुत्र स्व0 सहदेव सेठ, 2. रामसागर सेठ पुत्र राजकुमार सेठ, 3. राजसागर उर्फ राजू पुत्र राजकुमार सेठ, 4. अभिषेक सोनी पुत्र रामसागर सेठ निवासीगण सुम्भी थाना जहानागंज आजमगढ़ मेरे घर पर आकर मुझे वह मेरी बहन तथा मेरा भाई अरविन्द सोनी को ईट पत्थर व लाठी डन्डें से मारे पिटे तथा गाली गुप्ता व जान से मारने कि धमकी भी दिये मारपीट से मेरे भाई अरविन्द सोनी को चोट लगने से मौके पर बेहोस हो गया था जिसे हम लोग ले जाकर पीजीआई में भर्ती कराये जहाँ से मेरे भाई को जिला अस्पताल आजमगढ़ रेफर कर दिया गया जहाँ पर मेरे भाई का अभी ईलाज चल रहा है, के लिखित तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 450/22 धारा 323/504/506/308 भादवि कर विवेचना उ0नि0 सन्तोष कुमार द्वारा अग्रिम कार्यवाही अमल में लायी गयी।

गिरफ्तारी का विवरण: उ0नि0 सन्तोष कुमार मय हमराह के मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त राम सागर पुत्र राजकुमार सेठ ग्राम सुम्भी थाना जहानागंज आजमगढ़ को अभियुक्त के घर से दिनांक 10.11.2022 को समय करीब 10.30 बजे गिरफ्तार किया गया।

पंजीकृत अभियोग:- मु0अ0सं0 450/22 धारा 323/504/506/308 भादवि

गिरफ्तार अभियुक्त-

अभियुक्त राम सागर पुत्र राजकुमार सेठ ग्राम सुम्भी थाना जहानागंज आजमगढ़ उम्र 38 वर्ष

गिरफ्तारी करने वाली टीम का विवरण

- 1- उ0नि0 सन्तोष कुमार थाना जहानागंज आजमगढ़
- 2- हे0का0 राजू प्रसाद थाना जहानागंज आजमगढ़
- 3- का0 सुधीर गोस्वामी थाना जहानागंज आजमगढ़

थाना – निजामाबाद

गैंगस्टर एक्ट में वांछित 04 अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना का विवरण - दिनांक 09.11.2022 को वादी मुकदमा प्रभारी निरीक्षक दिनेश कुमार यादव द्वारा थाना स्थानीय पर अभियुक्तो 1. राम नरायन सिंह पुत्र विश्राम सिंह निवासी खतीरपुर थाना निजामाबाद आजमगढ़ 2. राजन प्रकाश उर्फ राजू जायसवाल पुत्र विजय कुमार जायसवाल निवासी खतीरपुर थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़ के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 473/2022 धारा 3(1) यूपी गैंगस्टर एक्ट तथा 1. अमान उल्लाह पुत्र तौफीक 2. मो0 अहमद पुत्र तौफीक 3. अशरफ पुत्र स्व0 अब्दुल्ला निवासी गण फरिहा थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़ 4. एजाज अहमद पुत्र इरशाद 5. रहमान पुत्र स्व0 तकी निवासीगण परसहां थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़ के विरुद्ध मु0अ0सं0- 474/2022 धारा 3(1) यूपी गैंगस्टर एक्ट पंजीकृत कराया गया है।

गिरफ्तारी का विवरण - आज दिनांक 10.11.2022 को प्रभारी निरीक्षक दिनेश कुमार यादव मय हमराह द्वारा मु0अ0सं0- 473/2022 धारा 3(1) यूपी गैंगस्टर एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्तो 1. राम नरायन सिंह पुत्र विश्राम सिंह निवासी खतीरपु थाना निजामाबाद आजमगढ़ 2. राजन प्रकाश उर्फ राजू जायसवाल पुत्र विजय कुमार जायसवाल निवासी खतीरपुर थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़ को रानी की सराय बाईपास मोड़ के पास से समय करीब 10.00 बजे सुबह गिरफ्तार किया गया तथा मु0अ0सं0 474/22 से संबंधित दो नफर अभियुक्तो 1. एजाज अहमद पुत्र इरशाद 2. रहमान पुत्र स्व0 तकी निवासी परसहां थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़ को फरीदाबाद मोड़ से सुबह 04.30 बजे गिरफ्तार किया गया गिरफ्तार अभियुक्तो के विरुध अन्य अग्रिम कार्यवाही किया जा रहा है।

पंजीकृत अभियोग - 1. मु0अ0सं0- 473/2022 धारा 3(1) यूपी गैंगस्टर एक्ट थाना निजामाबाद आजमगढ़।

2. मु0अ0सं0- 474/2022 धारा 3(1) यूपी गैंगस्टर एक्ट थाना निजामाबाद आजमगढ़।

आपराधिक इतिहास -

मु0अ0सं0- 214/21 धारा 379/411 भादवि थाना निजामाबाद आजमगढ़ बनाम 1. राम नरायन सिंह पुत्र विश्राम सिंह निवासी खतीरपु थाना निजामाबाद आजमगढ़ 2. राजन प्रकाश उर्फ राजू जायसवाल पुत्र विजय कुमार जायसवाल निवासी खतीरपुर थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़ पंजीकृत है।

तथा अभियुक्तो एजाज अहमद पुत्र इरशाद निवासी परसहां थाना निजामाबाद आजमगढ़ के विरुद्ध 137/22 धारा 3/5ए/8 गोवध अधि व 11 पशु क्रूरता अधि0 तथा 138/22 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना निजामाबाद आजमगढ़ व रहमान पुत्र स्व0 तकी निवासी परसहा थाना निजामाबाद आजमगढ़ के विरुद्ध विरुद्ध 137/22 धारा 3/5ए/8 गोवध अधि व 11 पशु क्रूरता अधि0 पंजीकृत है।

गिरफ्तार अभियुक्त -

1. राम नरायन सिंह पुत्र विश्राम सिंह निवासी खतीरपु थाना निजामाबाद आजमगढ़ ।
2. राजन प्रकाश उर्फ राजू जायसवाल पुत्र विजय कुमार जायसवाल निवासी खतीरपुर थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़।
3. एजाज अहमद पुत्र इरशाद निवासी परसहां थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़।
4. रहमान पुत्र स्व0 तकी निवासी परसहां थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तारी करने वाली टीम

1. SHO दिनेश कुमार यादव थाना निजामाबाद, जनपद-आजमगढ़ ।
2. का0 हर्षित कुमार थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़।
3. का0 अखिलेश प्रताप सिंह थाना निजामाबाद ,जनपद-आजमगढ़।

थाना – अहरौला

चोरी किये सामान के साथ 02 अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना - दिनांक 09.11.2022 को वादी मुकदमा अखिलेश उपाध्याय पुत्र स्व0 विक्रमादित्य उपाध्याय सा0 बासथान थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना स्थानीय पर सूचना दिया गया कि सौरभ उर्फ चाँद यादव पुत्र संतोष यादव सा0 दमदियवना थाना अहरौला आजमगढ़ व हर्ष सिंह उर्फ झिन्नू सिंह पुत्र मुन्ना सिंह सा0 पड़री थाना अहरौला आजमगढ़ द्वारा दिनांक 6/7.11.2020 रात्रि मे दुकान से ईनवर्टर चुरा लिया गया है उक्त के सम्बन्ध मे थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 386/2022 धारा 380 भादवि पंजीकृत कर विवेचना उ0नि0 श्री सुरेन्द्र नाथ द्वारा की जा रही थी।

गिरफ्तारी का विवरण- आज दिनांक 10.11.2022 को उ0नि0 सुरेन्द्र नाथ मय हमराह के मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्तो 1. सौरभ उर्फ चाँद यादव पुत्र सन्तोष यादव सा0 दमदियवना थाना अहरौला आजमगढ़ उम्र करीब 18 वर्ष 2. हर्ष सिंह उर्फ झिन्नू सिंह पुत्र मुन्ना सिंह उर्फ प्रदीप कुमार सिंह सा0 पड़री थाना अहरौला आजमगढ़ उम्र करीब 20 वर्ष को केदारपुर नहर पुलिया के पास से समय करीब 06.10 बजे गिरफ्तारी किया गया। जिनके कब्जे से मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित एक बोरी मे एक अदद पावर इनवर्टर की बरामद किया गया, गिरफ्तार अभियुक्तो का चालान मा0 न्यायालय किया जा रहा है।

पंजीकृत अभियोग:- मु0अ0सं0 386/22 धारा 380/411 भादवि थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ ।

गिरफ्तार अभियुक्त - 1. सौरभ उर्फ चाँद यादव पुत्र सन्तोष यादव सा0 दमदियवना थाना अहरौला आजमगढ़ 2. हर्ष सिंह उर्फ झिन्नू सिंह पुत्र मुन्ना सिंह उर्फ प्रदीप कुमार सिंह सा0 पड़री थाना अहरौला आजमगढ़

बरामदगी- एक बोरी मे एक अदद पावर इनवर्टर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1- उ0नि0 सुरेन्द्र नाथ थाना अहरौला आजमगढ़
- 2- का0 विक्रम सिंह थाना अहरौला आजमगढ़
- 3- का0 पवन कुमार थाना अहरौला आजमगढ़

थाना- मेहनाजपुर

मारपीट मे वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना:- दिनांक -05.11.2022 को वादी मुकदमा डा0 ओम प्रकाश तिवारी पुत्र स्व0 राजेन्द्र नाथ तिवारी निवासी ग्राम बरवा थाना मेहनाजपुर जनपद आजमगढ़ के द्वारा थाना स्थानीय पर शिकायत किया गया कि वादी ने पक्की बउन्डी का निर्माण कराया गया था जिसे अभियुक्तो द्वारा तोडकर क्षतिग्रस्त कर दिया गया है तथा आवेदक को धक्का देकर गिरा दिये और धमकाते हुये चले गये जिससे आवेदक को शारिरीक ,आर्थिक व मांसिक रुप से नुकसान होने के सम्बन्ध में थानास्थानीय पर मु0अ0सं0 155/22 धारा 327 भादवि पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ किया गया ।

गिरफ्तारी का विवरण- दिनांक 10.11.2022 को उ0नि0 सूर्यकान्त पाण्डेय मय हमराह के मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्तो दुलार कनौजिया उर्फ रामदुलार पुत्र स्व0 सकलू निवासी बरवाँ थाना मेहनाजपुर आजमगढ़ को बरवाँ मोड़ से समय करीब 12.05 बजे गिरफ्तार किया गया ,बाद गिरफ्तारी अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग

मु.अ.स.155/22 धारा 327 भादवि थाना मेहनाजपुर जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त-

दुलार कनौजिया उर्फ रामदुलार पुत्र स्व0 सकलू नि0 बरवाँ थाना मेहनाजपुर जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली टीम

उ0नि0 सूर्यकान्त पाण्डेय थाना मेहनाजपुर जनपद आजमगढ़।

का.विकाश पाण्डेय थाना मेहनाजपुर जनपद आजमगढ़।

का.विकाश सरोज थाना मेहनाजपुर जनपद आजमगढ़